न्यायालय ,भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 43 वर्ष 2016

आवेदक– सुखदेव टुडू उर्फ शुकदेव टुडू	क्रेता– भीम राम मांझी
ग्राम – चौडा टोला–+++	ग्राम –चौडा टोला– +++
थाना – कसमार जिला–बोकारो	थाना – कसमार जिला– बोकारो

की क्र0 वं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख व साथ। 03

आदेश

08/07/17

यह वाद आवेदक सुखदेव टुडू उर्फ शुकदेव टुडू पिता स्व0 अर्जुन मांझी निवासी ग्राम चौडा थाना कसमार जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
हिसीम	130	03	1489	81 डी0	27 डी0	कृषि योग्य

को वे दशकर्म हेतु मो0 70000/– (सत्तर हजार) रूपये में क्रेता– भीमराम मांझी पिता स्व0 रामधन मांझी ग्राम चौडा थाना –कसमार जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 294 रा0, दिनांक 13.05..2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांक 609 दिनांक 02.11.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनो संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं केता दोनों ग्राम–चौडा एवं थाना–कसमार जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में बिक्रेता के परदादा कोका मांझी के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी कोका मांझी के नाम से पंजी–II कें पृष्ठ स0 110/ 1 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि खतियान द्वारा हासिल है।
03. खतियानी रैयत /जमाबंदी रैयत से बिकेता का परदादा के पिता का संबंध है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज कोका मांझी के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी कोका मांझी के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेता– कोका मांझी के नाम सर्वे खतियान की छायाप्रति तथा कोका मांझी वगै0 के नाम लगान रसीद की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता–रामधन मांझी के नाम लगान रसीद की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा वे दोनों एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक सुखदेव टुडू उर्फ शुकदेव टुडू पिता स्व0 अर्जुन मांझी ग्राम चौडा थाना कसमार जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
हिसीम 130	03	1489	81 डी0	27 डी0	परती जंगल झाडी	परती नीज केता	अभिराम मांझी	झरी करमाली
सताईस डिसिमिल जमीन मात्र।								

मो0 73,467/–(तिहत्तर हजार चार सौ सरसठ) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– भीम राम मांझी पिता स्व0 रामधन मांझी ग्राम चौडा थाना –कसमार जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

28/07/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

28/07/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 04:46:24 -08:00
Location: 192.168.1.35